

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 121/18

विष्णु पुत्र हरजीवन सिंह तोमर आयु 20 वर्ष  
निवासी ग्राम कोथर खुर्द मुरैना, हाल निवासी  
उपकारा ग्रह गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

05-04-2018

आवेदक/आरोपी विष्णु की ओर से श्री बी०एस० यादव अधिवक्ता  
उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक  
उपस्थित।

विचारण न्यायालय (श्री अमित कुमार गुप्ता जे०एम०एफ०सी०) गोहद  
से मूल आपराधिक प्र०क्र० 119/18 प्राप्त।

इसी प्रक्रम पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान  
अधिवक्ता श्री बी.एस. यादव ने इस जमानत आवेदन पर स्वेच्छापूर्वक बल नहीं  
देना व्यक्त करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया एवं तद्विषयक  
टीप हांसिये पर अंकित की गई।

अतः बाद विचार आवेदक/अभियुक्त के स्वेच्छिक निवेदन पर यह  
जमानत आवेदन निरस्त किया जाता जाता है।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस  
किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड